4

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 7(4)राज/2/2015 जयपुर, दिनांक : 30.6.2015

निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान,

अजमेर।

विषयः– ई–धरती साफ्टवेयर लागू करने एवं इसके प्रारूप में एकरूपता हेतु दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ई–धरती साफ्टवेयर का अनुमोदन कर साफ्टवेयर के प्रारूप में एकरूपता बनाये रखने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. नवीन पैरिनियल जमाबन्दी तैयार करते समय प्रत्येक खातेदार को अलग–अलग फील्ड में अंकित किया जाना है इसलिये प्रत्येक खातेदार का हित, अधिकार, मालिकाना हक (टाईटल) में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जाने वाली नवीन पैरिनियल जमाबन्दी में एकरूपता हेतु, जहां जमाबन्दी में अलग–अलग खातों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है जैसे ,पुत्र/पुत्रान/पुत्री/पुत्रियान/पिता/पिसरान/पि./वल्द इत्यादि की जगह पुत्र/पुत्री तथा/पत्नि/धर्मपत्नि/पति की जगह पत्नि व पति के स्वर्गवास होने की स्थिति में पत्नि/बेवा/विधवा/चति के स्थान पर पत्नि स्व. पति का नाम इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जा सकेगा।

2. जमाबन्दी में जहां एक ही बैंक के नाम को अलग–अलग तरीके से लिखने की प्रवृति है उनको भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही प्रकार से लिखा जा सकेगा।

3. जिस चौसाला के आधार पर मध्यवर्ती जमाबन्दी बनाई गई है उस पर अन्तिम चौसाला का सन्/संवत का उल्लेख करते हुये अंकित किया जाएगा कि " अन्तिम चौसाला जमाबन्दी सन्/संवत.....के आधार पर पर तैयार " पैरिनियल (स्थायी) जमाबन्दी।

4. तैयार पेरीनियल जमाबन्दी पर चालू वर्ष/संवत् का अंकन होगा।

5. राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जाति संबंधित अधिसूचना के अनुसार (हिन्दी व अंग्रेजी दोनो प्रारूपों में) ई–धरती सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान ।

भवदीय,

(आलोक)
शासन सचिव, राजस्व

संयुक्त शासन सचिव, कमरा नं0 5120 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर – 302 005 फोन नं0 2385149 पी.ए.बी.एक्स 5153222 आई.पी. 21594 एवं शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, कमरा नं0 5026 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर – 302 005 फोन नं0 पी.ए.बी.एक्स 5153222 आई.पी. 24135/24128